बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

राज्य में संचालित कारखानों में कतिपय कारखानों/प्रक्रियाओं इत्यादि को छोड़कर महिलाओं को कार्य करने का प्रावधान है। कारखानों में नियोजित महिलाओं की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण हेतु निम्न श्रम अधिनियम लागू हैं:–

1. कारखाना अधिनियम, 1948
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
3. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

राज्य में संचालित कारखानों के दखलकारों/नियोजकों द्वारा इन अधिनियमों के प्रावधानों को लागू किया जाना अनिवार्य है। कारखानों में नियोजित महिलाओं को इन अधिनियामों के प्रावधानों की जानकारी होने से महिला कामगारों की कर्तव्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण के प्रावधान सुनिश्चित हो सकेगा।

एतद द्वारा राज्य के सभी कारखानों के दखलकारों/नियोजकों से अनुरोध है कि वे अपने कारखानों के सुगोचर एवं सुगम्य स्थानों कैंटिन, प्रवेश एवं निकास द्वार के समीप विभिन्न श्रम एवं महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों में प्रावधानों की नोटिस प्रदर्शित करेंगे। कारखानों में प्रदर्शित किये जाने वाले नोटिस सामान्यतः हिन्दी भाषा में होगा। कारखानों में प्रदर्शित किया जाने वाला यह नोटिस कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–108 के अन्तर्गत अपेक्षित नोटिस के अतिरिक्त होगा। कारखानों के दखलकारों/नियोजकों/प्रबंधकों द्वारा उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ह०/–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–01/F1-02/2021 श्र०सं०– 2638 पटना, दिनांक– 21/5/25

प्रतिलिपिः– मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश है कि उपरोक्त का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

21/5/25
श्रमायुक्त, बिहार